

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ4 (201)आकाशि/नित्त/17/723

दिनांक- 24.11.2017

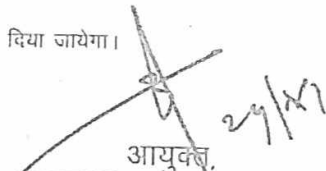
आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रवृत्त अनुमोदन के आधार पर निम्नलिखित संस्था को नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु आदेशित संकाय/विषयों सहित सत्र 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 तीन वर्ष के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत प्रदान किया जाता है:-

संस्था का नाम व पता	महाविद्यालय का नाम एवं पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	आवृत्ति विषय/ संकाय
प्रिसेस शिक्षण संस्थान, खादूश्यामजी, तह. दांतारामगढ़, सीकर।	प्रिसेस गर्ल्स कॉलेज, लामियाँ रोड़, खादूश्यामजी, तह. दांतारामगढ़, सीकर।	बडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय, सीकर	अनिवार्य विषयों सहित स्नातक स्तर पर- कला संकाय- हिन्दी साहित्य, समाजशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य, राजनीति विज्ञान, इतिहास, लोकप्रशासन, भूगोल, कम्प्यूटर, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, गृहविज्ञान, अर्थशास्त्र। विज्ञान संकाय- गणित, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान।

- संस्था सत्र 2021-22 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिवृद्धि हेतु आवेदन करेगी।
- संस्था: संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में नोटरीकरण से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी।
- संकाय/विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जाएगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जायेगा।
- संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति पश्चात् तीन सत्रों में मापदण्डानुसार स्वयं की भूमि पर महाविद्यालय भवन (विभाग द्वारा तय मापदण्डानुसार) का निर्माण पूर्ण करना होगा।
- संबंधित संस्था द्वारा भूगोलीय रूपान्तरण अवश्य करवाया जायेगा इसके अभाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त हो सकता है।
- महाविद्यालय भवन का निर्माण संबंधित सक्षम स्थानीय निकाय/नगर नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के अनुरूप किया जाएगा।
- संस्था द्वारा यूजीसी योग्यताधारी प्राचार्य व व्याख्याता तथा अन्य अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की जानी होगी।
- संबंधित विश्वविद्यालय से स्टाफ के अनुमोदन का दायित्व संस्था का रहेगा।
- आवश्यकतानुसार निदेशालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकता है तथा संस्था/महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा।
- संस्था द्वारा स्थायी जमा के रूप में जमा करायी गई सुरक्षा राशि को प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- संस्था सांख्यिकी पुरिक्त एवं विवरणिका प्रतिवर्ष पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयवधि में जमा करायेंगी।
- मापदण्डों की पूर्ण जानकारी इस विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
- संस्था द्वारा एन0एस0एस/एन0सी0सी/सेवरिंग एवं रेजरिंग (स्काउट/गार्ड) में से किसी भी एक सहशैक्षणिक गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा। इसकी सूचना सगन्वयक एन0एस0एस0, कॉलेज शिक्षा को संबंधित अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर सहित आवश्यक रूप से करनी होगी।
- राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2017-18 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
- संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देनी।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करे। इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी।

संपूर्ण शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।


आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- विशिष्ट सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी तहिय, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।



क्रमांक: एफ4 (201)आकाशि/नि.सं./2017/662

दिनांक:- 08-02-2022

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2021-22 एवं सत्र 2022-23 (दो सत्रों) के लिए स्नातक स्तर पर पूर्व संचालित संकाय व विषय में अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	पूर्व संचालित संकाय व विषय
प्रिसेस शिक्षण संस्थान, खाटूश्यामजी, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर।	प्रिसेस गर्ल्स कॉलेज, लामियां रोड, खाटूश्यामजी, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर।	पण्डित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।	स्नातक स्तर पर - अनिवार्य विषयों सहित कला संकाय- हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, कम्प्यूटर, गृह विज्ञान। विज्ञान संकाय- भौतिक शास्त्र, गणित, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान।

1. संस्था प्रत्येक सत्र में निरीक्षण करवाने हेतु नियमानुसार निरीक्षण शुल्क जमा करवाकर ऑनलाइन प्रपत्र प्रस्तुत करेगी।
2. संस्था सत्र 2023-24 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करेगी।
3. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
4. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
5. संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
6. संस्था संबद्ध विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
7. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
8. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
9. राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2021-22 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
10. संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएँ निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड करेगी।
11. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल WWW.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय अपलोडेड प्रमाण-पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेंगे।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

अधुक्त,

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, सीकर।
5. कुल सचिव, पण्डित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
6. सचिव, सम्बद्ध महाविद्यालय।
7. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

अधुक्त

संयुक्त-निदेशक (नि0सं0)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर